दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन–'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **तीस [30] दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में **अथवा** ई–मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधनः

अवस्थिति	**क्षेत्रफल**	**दिल्ली मुख्य योजना-2021 / जोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग**	**प्रस्तावित भूमि उपयोग**	**स्थल/क्षेत्र की सीमाएँ**
योजना जोन–'ई' के अंतर्गत आने वाली त्रिलोक-पुरी संजय झील स्थित स्थल	88,193.03 वर्ग मीटर	व्यावसायिक	आवासीय	**उत्तरः** जोन 'ई' की क्षे. वि. यो. के अनुसार विद्युत सब स्टेशन **दक्षिणः** इंदिरा गांधी महिला पार्क **पूर्वः** जोन 'ई' की क्षे. वि.यो. के अनुसार 30 मी. मार्गाधिकार वाली सड़क **पश्चिमः** संजय झील

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx.** पर भी उपलब्ध है।

एफ.20(9)/2016-एमपी

हस्ता./–
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांकः 07.01.2021
स्थानः नई दिल्ली

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'www.dda.org.in' देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।